न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—115/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00115)

1. भैरू पुत्र भुवान जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. नन्दा पुत्र श्रीनारायण (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 लालाराम पुत्र स्व0 नन्दा
   1/2 प्रेम पुत्री स्व0 नन्दा
   जाति माली निवासी टोडागेट, मालियों की हथाई, के पास बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. रामदास पुत्र श्रीनारायण (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 देवनारायण पुत्र स्व0 रामदास
   2/2 नौरत पुत्र स्व0 रामदास
   2/3 श्योजी पुत्र स्व0 रामदास
   2/4 बाबूलाल पुत्र स्व0 रामदास
   2/5 पीना पुत्री स्व0 रामदास पत्नि लालाराम निवासी ग्राम बीजवाड, तहसील देवली जिला टोंक।
3. सोहनी पत्नि गोपाल
4. जगदीश पुत्र गोपाल
5. सीता पुत्री गोपाल
6. मंगली पुत्री गोपाल
7. राजेश पुत्र रामदास
   समस्त निवासी बघेरा, तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी।

रेस्पोडेंट्स

अपील संख्याः—116/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00116)

1. भैरू पुत्र भुवान जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. नन्दा पुत्र श्रीनारायण (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 लालाराम पुत्र स्व0 नन्दा
   1/2 प्रेम पुत्री स्व0 नन्दा
   जाति माली निवासी टोडागेट, मालियों की हथाई, के पास बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. रामदास पुत्र श्रीनारायण (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 देवनारायण पुत्र स्व0 रामदास
   2/2 नौरत पुत्र स्व0 रामदास
   2/3 श्योजी पुत्र स्व0 रामदास
   2/4 बाबूलाल पुत्र स्व0 रामदास
   2/5 पीना पुत्री स्व0 रामदास पत्नि लालाराम निवासी ग्राम बीजवाड, तहसील देवली जिला टोंक।
3. सोहनी पत्नि गोपाल
4. जगदीश पुत्र गोपाल
5. सीता पुत्री गोपाल

6. मंगली पुत्री गोपाल
7. राजेश पुत्र रामदास
   समस्त निवासी बघेरा, तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/2009 व 23/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2018

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 8
3. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—10.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2009 व 23/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में वास्ते विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम बघेरा तहसील केकडी में स्थित कृषि भूमियों का प्रस्तुत किया तथा विभाजन करने की प्रार्थना अंकित की। अपीलार्थी के पिता भुवान पुत्र हजारी ने एक वाद पृथक से उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस वाद में इंद्राज दुरूस्ती की प्रार्थना करते हुए विभाजन कराए जाने की प्रार्थना अंकित की गई। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने उनके न्यायालय में प्रस्तुत दोनों वादों को समेकित कर विचारण किया तथा विचारण के उपरांत निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2018 पारित करते हुए विभाजन बाबत निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2009 व 23/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2018 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 7 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने इस बिन्दु को नजर अदांज किया कि खसरा संख्या 1621, 2042, 2046, 2052, 2053, 2054 तथा 2139 की भूमि हजारी के दोनों पुत्रों के नाम भू प्रबन्ध से पूर्व में अंकित भूमि तत्समय शामलाती थी तथा श्रीनारायण के नाम अंकित कर दी गई, जिसका श्रीनारायण के वारिसान ने विभाजन चाहा, परन्तु उक्त विभाजन के पूर्व ही भू प्रबन्ध द्वारा श्रीनारायण के नाम भूमि गलत अंकित कर दिये जाने बाबत तथ्य अंकित करते हुए भुवान द्वारा दुरूस्ती हेतु जो वाद प्रस्तुत किया गया, इस पर विचार किये बिना ही उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने सरसरी तौर पर विभाजन कराये जाने बाबत निर्णय व डिक्री प्रदान की है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है तथा अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के न्यायालय में अभिलेख पर यह तथ्य पूर्णतया साबित था कि उनको भू प्रबन्ध द्वारा कारित त्रुटि के फलस्वरूप वर्तमान अभिलेख की प्रविष्टि बाबत कोई विभाजन करने से पूर्व भुवान द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरूस्ती के वाद का विचारण कर निर्णय पारित करना था तथा उक्त वाद वर्तमान वाद के साथ समेकित रहते हुए भी

इस बिन्दु पर वाद बिन्दु कायम किये बिना अत्यन्त ही मनमाने तौर पर विभाजन बाबत निर्णय व डिक्री पारित कर उपखण्ड अधिकारी केकडी ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के न्यायालय में वाद समेकित करने बाबत आदेशिका अंकित रहते हुए दोनों वादों को एकजाई करने के उपरांत वांछित वाद बिन्दु कायम किये बिना तथा प्रथम बिन्दु इन्द्राज दुरूस्ती बाबत कायम किये बिना अपीलार्थी के वाद को पूर्णतया नजर अंदाज करते हुए मात्र प्रथम पेज पर टाईल में दो वादों का अंकन करते हुए उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने निर्णय पारित कर दिया, परन्तु निर्णय में लम्बित विवाद का विधिपूर्ण तरीके से निस्तारण किये बिना ही मात्र विभाजन बाबत निर्णय पारित कर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने भारी त्रुटि कारित की है इस कारण उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2009 व 23/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं, न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

6. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम बघेरा तहसील केकडी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1621, 2042, 2046, 2052, 2053, 2054, 2139, 2230, 2089, कुल किता 5.80 है0 तथा खाता संख्या 1356 के खसरा संख्या 2089 रकबा 0.39 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है तथा खाता संख्या 1356 में वर्णित भूमि का 1/6 हिस्सा वादी का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा होना वर्णित किया। इसी प्रकार खाता संख्या 1354 में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा खसरा संख्या 2139 में प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा होना वर्णित किया तथा अन्य आराजीयात में प्रतिवादी जगदीश का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सोहनी का 1/12 हिस्सा होना वर्णित किया तथा उक्त भूमि का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा गया।

अपीलार्थी के पिता भुवान पुत्र हजारी ने एक वाद पृथक से उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें संवत 2041 में वर्किंग जमाबंदी में वर्णित भूमि खसरा संख्या 683, 771, 791, 912, 921, 1323 कुल किता 6 कुल रकबा 62–19–00 तथा इस भूमि के नए बनाए खसरा नम्बरान में वादी भुवान पुत्र हजारी के नाम वर्तमान खसरा नम्बर 1704, 2039, 2050, 2052/5066, 2140 की कुल 4.38 है0 भूमि अंकित थी, तथा भुवान के भाई श्रीनारायण के वारिसों के नाम खसरा नम्बर 1621, 2042, 2046, 2052, 2053, 2054, 2139, 2141, 2230 कुल किता 9 कुल रकबा 5.79है0 अंकित की, राजस्व रिकार्ड में हजारी के दोनों पुत्र भुवान एवं श्रीनारायण के 1/2–1/2 हिस्सा उक्त आराजीयात में से अंकन करना था, परंतु भू प्रबंध विभाग द्वारा श्री नारायण के वारिसों के नाम 1.59है0 भूमि अधिक अंकन कर दी गई, इस बाबत वाद में इंद्राज दुरूस्ती किए जाने की प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 01/2009 व 23/2009 को समेकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 01/2009 में तीन तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों तनकीयों को वादी के पक्ष में निर्णित कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2018 पारित किया गया। जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वाद को समेकित किया गया था तो उन्हें

दोनों वाद पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वाद संख्या 01/2009 पर तनकीयात कायम कर उसे ही निर्णित किया गया। वाद संख्या 23/2009 पर उनके द्वारा किसी प्रकार का विवेचन नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भुवान द्वारा दुरूस्ती हेतु जो वाद प्रस्तुत किया गया, इस पर विचार किए बिना ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा विभाजन कराए जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अभिलेख की प्रविष्टि बाबत कोई विभाजन करने से पूर्व भुवान द्वारा प्रस्तुत इंद्राज दुरूस्ती के वाद का विचारण कर निर्णय पारित करना चाहिए था तथा उक्त वाद वर्तमान वाद के साथ समेकित रहते हुए भी इस बिंदु पर वाद बिंदु कायम किए बिना प्रकरण में विभाजन बाबत निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वाद को समेकित करते हुए इंद्राज दुरूस्ती बाबत वाद बिंदु/तनकीयात कायम किए बिना व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को नजरअंदाज करते हुए उनके समक्ष लंबित वाद का विधिसम्मत तरीके से निस्तारण किए बिना मात्र विभाजन बाबत निर्णय व डिक्री पारित कर प्रकरण में त्रुटि कारित की है। इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनों समेकित वाद का निर्णय एक ही वाद के अनुसार किया गया जबकि दोनों वाद में वादी द्वारा अलग–अलग अनुतोष चाहा गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल एक ही वाद का तनकीवार निर्णय किया जाकर दूसरे वाद में किसी प्रकार का वाद बिंदु कायम किए अथवा उक्त वाद पर अपना विवेचन किए बिना ही वाद का निस्तारण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1/2009 व 23/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रस्तुत दोनों समेकित वाद में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर दोनों समेकित वाद की प्रत्येक तनकीयों का अलग–अलग विवेचन कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर